न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

रेफरेंस/एल.आर./3920/2006/भीलवाड़ा

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कोटड़ी।

......प्रार्थी

बनाम

1- मुरलीधर पिता जानकीलाल (मृतक)
जरिये वारिसान :-
1/1. बाली देवी पत्नी मुरलीधर
1/2. पुष्पा पुत्री मुरधीर
1/3. जावित्री पुत्री मुरलीधर
1/4. मंजू पुत्री मुरलीधर
समस्त जाति ब्राह्मण निवासी म0नं0 59, वार्ड नं0-12, बड़लियास, तहसील कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा।

2- सत्यनारायण पिता मोहनलाल ब्राह्मण निवासी बड़लियास तहसील कोटड़ी।

.....अप्रार्थीगण

एकल पीठ
श्री पुरूषोत्तम लाल सैनी, सदस्य

उपस्थित :
श्री शिवप्रकाश चौधरी, उप राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी।
अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित, एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

दिनांक : 10 सितम्बर, 2025

1- यह रेफरेन्स राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत अपर जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ने अपने निर्णय दिनांक 12-5-2006 द्वारा अभिशंषित कर प्रेषित किया है।

2- हस्तगत प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार कोटड़ी ने एक रेफरेंस प्रार्थना पत्र अपर जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बड़लियास तहसील कोटड़ी में स्थित साबिक बंदोबस्त आराजी नंबर 1367 रकबा 1.05 बीघा भूमि मंदिर मूर्ति माताजी बंकेरायजी गढ़ स्थान देह गोविन्दराम, मोहनलाल

पिता गोकललाल ब्राह्मण पुजारी की हैसियत से राजस्व अभिलेख में दर्ज रिकार्ड थी। नवीन बंदोबस्त के दौरान उक्त आराजी भू–भाग के नवीन आराजी खसरा नंबर 1367 रकबा 1.05 बीघा कायम करते हुए विपक्षीगण के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज कर दिया। इस प्रकार बंदोबस्त विभाग ने शाश्वत मंदिर मूर्ति की भूमि को निजी व्यक्तियों के खाते में अभिलिखित कर दिया गया, जबकि नियमों में परिवर्तन बंदोबस्त विभाग को किये जाने का कोई अधिकार नहीं है। अतः उक्त प्रविष्टियों को विलोपित कर वादग्रस्त भूमि को वापिस माफी मंदिर के नाम दर्ज करने हेतु तहसीलदार द्वारा रेफेरेंस प्रकरण अपर जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा को प्रस्तुत किया, जिसे उनके द्वारा स्वीकार कर वादग्रस्त भूमि को पुनः माफी मंदिर के नाम खातेदारी में दर्ज करवाने हेतु यह रेफरेंस राजस्व मंडल में अभिशंषित करते हुए आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया है, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

3– दौराने विचारण अप्रार्थी मुरलीधर के फौत होने की सूचना प्राप्त होने पर तहसीलदार, कोटड़ी से मृतक के विधिक वारिसान की सूचना प्राप्त की गई जो हस्तगत प्रकरण में बतौर अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/4 के रूप में पक्षकार संयोजित है। इनकी तलबी हेतु समय–समय पर साधारण व रजिस्टर्ड ए0डी0 नोटिस प्रेषित किये गये, किन्तु अप्रार्थीगण स्वयं अथवा इनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। चूंकि प्रकरण वर्ष 2006 से लंबित होकर अत्यधिक पुराना प्रकरण है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी की ओर से प्रतिनिधित्व करवाने वाले विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

4– विद्वान उप–राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया है कि विवादित भूमि माफी मंदिर के नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी। विवादित भूमि श्री माताजी बंकेरायजी गढ़ स्थान की खातेदारी में दर्ज थी, जिसे बंदोबस्त विभाग द्वारा अपने भू–प्रबन्ध के कार्य करने के दौरान माफी मंदिर का नाम विलोपित कर अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दिया गया। मूर्ति मंदिर की भूमि का हस्तांतरण अप्रार्थी के पक्ष में बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के हुआ है। चूंकि मन्दिर शाश्वत नाबालिग है और माफी मन्दिर विराजमान शाश्वत नाबालिग की खातेदारी भूमि होने के कारण उसका अन्तरण किसी भी व्यक्ति को नहीं किया जा सकता और ना ही उक्त भूमि में किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते हैं। बिना किसी सक्षम आदेश के विवादित भूमि मंदिर के स्थान पर विधि विरूद्ध अप्रार्थी के नाम खातेदारी में दर्ज कर दी गई है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः हाल जमाबन्दी में अप्रार्थीगण तथा अन्य के नाम

अंकित प्रविष्टियां निरस्त किये जाने योग्य है एवं विवादित आराजी की खातेदारी पुनः माफी मन्दिर के नाम पर दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतएव प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाये।

5– विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2018 से 2021 में आराजी खसरा नंबर 1367 रकबा 1.05 बीघा भूमि श्री माताजी बंकेरायजी गढ़ स्थान देह दर्ज रिकार्ड है तथा कृषक कॉलम में गोविन्दराम, मोहनलाल पिता गोकललाल ब्राह्मण पुजारी की हैसियत अंकित है। तत्पश्चात् जमाबंदी संवत 2022 से 2025 में मंदिर मूर्ति का नाम विलोपित कर कृषक के कॉलम में गोविन्दराम, मोहनलाल पिता गोकललाल ब्राह्मण अंकित किया गया है। हाल जमाबंदी संवत 2058 से 2061 में भी कॉलम सं0–3 भू धारकों का नाम में राज. सरकार अंकित है तथा कॉलम सं0 4 में मुरलीधर पिता जानकीलाल तथा सत्यनारायण पिता मोहन लाल ब्राह्मण दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि साबिक राजस्व अभिलेख में श्री माताजी बंकेराय जी गढ़ स्थान देह के नाम दर्ज रही है, जिस पर जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम की धारा–10 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–16 व 46 के तहत् किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। उल्लेखनीय है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 एवं 46 के अन्तर्गत मन्दिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है तथा मन्दिर मूर्ति की भूमियां सार्वजनिक प्रयोजनार्थ धारित की जाती है, जिस पर विधिनुसार कोई व्यक्ति खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है। राजस्व विधि में मन्दिर मूर्ति को शाश्वत अव्यस्क माना जाकर उसके स्वत्व व खातेदारी अधिकार की भूमि का किसी भी प्रयोजनार्थ हस्तान्तरण वर्जित है। चूंकि मन्दिर मूर्ति की खातेदारी भूमि का अप्रार्थीगण के नाम हस्तांतरण एवं अन्तरण होना धारा–46 व 16 आर.टी.एक्ट के तहत् विधि विरूद्ध है। ऐसी स्थिति में हस्तगत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि पुनः उपरोक्त मंदिर के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

6– परिणामतः हस्तगत् रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बड़लियास तहसील कोटड़ी स्थित विवादित भूमि खसरा नंबर 1367 रकबा 1.05 बीघा में अप्रार्थीगण या उनके पूर्व मुरलीधर व सत्यनारायण के नाम दर्ज खातेदारी इन्द्राजात को अपास्त करते हुए पुनः श्री माताजी

बंकेरायजी का नाम राजस्व अभिलेख में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।

7– इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पुरूषोत्तम लाल सैनी)
सदस्य